भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *166

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

विभिन्न समुदायों से न्यायाधीशों की नियुक्ति

***166 श्री पी. विल्सनः**

क्या **विधि और न्याय** यह बताने की करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की न्यायाधीशों रूप में नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक इन समुदायों से संबंधित न्यायाधीशों से संबंधित आँकड़े क्या हैं ; और

(ख) इस संबंध मंत्रालय से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"विभिन्न समुदायों से न्यायाधीशों की नियुक्ति" से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *166 जिसका उत्तर तारीख 17.03.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । इसलिए जाति/प्रवर्ग-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है । उच्च न्यायालयों की रिक्तियों के लिए सिफारिशें करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व उच्च न्यायलय कॉलेजियम में निहित होता है । कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रणाली में सामाजिक विविधता और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ महिलाओं/ अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का भार मुख्य रूप से न्यायपालिका पर है । सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नियुक्त नहीं कर सकती है जिसकी उच्च न्यायालय कॉलेजियम/उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश नहीं की गई है ।

उच्चतर न्यायपालिका में आरक्षण की सिफारिश, विभाग संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 107वीं रिपोर्ट, 2021-22 (पैरा 5.16); 87वीं रिपोर्ट, 2016 [पैरा 51(xxiv)] और 21वीं रिपोर्ट, 2007(पैरा 22) में की है । सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध रहती है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से यह अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक् विचार किया जाए ।

****